भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +3606

सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021/29 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र से संबंधित कर्मचारियों के कल्याण हेतु नीति

+3606. श्रीमती अपराजिता सांरगीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) क्या महामारी के दौरान और उसके बाद ओडिशा में पर्यटन प्रभावित हुआ था;

(ख) यदि हाँ,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उद्योग को कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने ओडिशा में पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कोई उपाय किए है यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पूरे देश में और विशेषकर ओडिशा के लिए पर्यटन से जुडे कर्मचारियों के कल्याण के लिए योजनाएं या नीति शुरू की है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत लाभार्थी की कुल संख्या कितनी है; और

(च) वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान पर्यटन क्षेत्र का तुलनात्मक प्रदर्शन क्या रहा?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ड.): महामारी के कारण ओडिशा सहित देश में पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। उक्त अवधि के दौरान घरेलू और विदेशी पर्यटकों के दौरों में गिरावट दर्ज की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

2019		**2020**		**विकास दर**	
घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी	डीटीवी	एफटीवी
15307637	115128	4622273	10206	-69.8	-91.14

ओडिशा सहित देश में पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों का विवरण अनुबंध पर है:

(च) वर्ष 2019 और 2020 के दौरान पर्यटन क्षेत्र के तुलनात्मक निष्पादन इस प्रकार है:

क्रमांक	**पैरामीटर**	**2019**	**2020**
1.	विदेशी पर्यटकों की यात्राएं (मिलियन में)	31.41	7.17
2.	घरेलू पर्यटकों की यात्राएं (मिलियन में)	2321.98	610.21
3.	विदेशी मुद्रा अर्जन (करोड़ रुपए में)	211661	50136

****

अनुबंध-I

पर्यटन क्षेत्र से संबंधित कर्मचारियों के कल्याण हेतु नीति के सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2021 के लोक सभा के प्रश्न सं. +3606 के भाग (क) और (ड.) के उत्तर में **विवरण।**

ओडिशा सहित देश में पर्यटन उद्योग के पुनरुद्धार हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों का विवरण:

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने का ऋण-स्थगन होगी।

ii. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।

iii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर प्रत्येक के लिए 10% कर दिया गया है।

iv. केंद्र सरकार ने भी व्यापार निरंतरता और उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए कोविड -19 महामारी के संकट के मद्देनजर अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत दी।

v. भारतीय रिजर्व बैंक ने आवधिक ऋण पर स्थगन 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है।

vi. भारत सरकार ने 31.03.2021 को पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की है। आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है। यह योजना 31.03.2021 तक वैध है। ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 30.06.2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि 30.09.2021 तक बढ़ा दी गई है।

vii. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को एसईआईएस स्क्रिप जारी करने की सहमति दी है। इससे पहले, कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लिए सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एसईआईएस के आवंटन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 2019-20 के लिए एसईआईएस जारी रखने के वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सहमति दी है कि राशि एक नया लघु शीर्ष प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यय बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

viii. 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास और रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।

ix. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं।

x. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके।

xi. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।

xii. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है।

xiii. विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।

xiv. पर्यटन मंत्रालय ने "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र (एलजीएससीएटीएसएस) के लिए ऋण गारंटी योजना" लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/पर्यटन परिवहन ऑपरेटरों के लिए ऋण 10.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्षेत्रीय पर्यटक गाइड/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड को 1.00 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। योजना की वैधता 31.03.2022 तक अथवा योजना के तहत 250.00 करोड़ रुपये की गारंटी जारी किए जाने जो भी पहले हो, तक है।

xv. सरकार ने 15 नवंबर 2021 से भारत आने वाले विदेशियों को 5 लाख मुफ्त पर्यटक वीजा जारी करने की घोषणा की है।

****